63

समक्ष:– न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश

निगरानी क्रमॉक :

प्रस्तुति दिनॉक : 26.10.2015

श्री .... द्वारा आज दि. 26/10/15 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

नि. 13482-II-15

अरविन्द सराफ उम्र करीब 50 वर्ष पिता स्व. जे.पी.सराफ

निवासी चण्डी जीं वार्ड हटा जिला–दमोह (म.प्र.) ....निगरानीकर्ता/पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

मध्यप्रदेश शासन ....गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959, निगरानी विरूद्ध न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय् तहसील हटा जि. दमोह, म.प्र. के राजस्व प्रकरण क्रमॉक 71 अ/68, बर्ष 2014–15 में पारित आदेश दिनॉक 05.10.2015 से दुखित होकर माननीय न्यायालय् के समक्ष न्यायिक निराकरण हेतु प्रस्तुत।

मान्यवर्,

निगरानीकर्ता निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर निगरानी प्रस्तुत कर प्रार्थना करता है :–

प्रकरण के तथ्य

1. यह कि निगरानीकर्ता/पुनरीक्षणकर्ता नगर हटा खास के पटवारी हल्का नं. 32 चण्डी जीं वार्ड हटा, तहसील हटा जिला दमोह का स्थायी निवासी है। निगरानीकर्ता ने जरिये रजिस्ट्रीशुदा बैनामा दिनांक 23.05.1994 एवं 21.07.1997 में चंडी जीं वार्ड

अरविन्द सराफ

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3482– दो/15 **जिला –दमोह**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा आदि के हस्ताक्षर
4–5–16	आवेदक के अधिवक्ता श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा द्वारा तहसीलदार हटा जिला दमोह के प्रकरण कमांक 71/अ–68/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 5.10.15 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 2– आवेदक के अधिवक्ता को सुना गया एवं उनके द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का परिशीलन किया गया। प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा दिनांक 23.5.94 एवं 21.7.97 को रजिस्टर्ड बैनामाओं के जरिये चंडी जी वार्ड हटा में स्थित हटा खास की नगर पालिका क्षेत्र में आवादी की जमीन में बना मकान/दहलान एवं खाली प्लाट मकान बनाने कमशः जालम कुम्हार एवं दयाराम कुम्हार साकिन हटा से कय कर कब्जा पाया था, एवं कय दिनांक से अपनी इसी जगह पर ही बने मकान में एवं खाली प्लाट में मकान बनाकर वहैसियत मालिक के निवास करता चला आ रहा है एवं उसके द्वारा किसी भी प्रकार से शासकीय भूमि पर कोई अतिकमण नहीं किया गया है। 3– प्रकरण के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि आवेदक का मकान आबादी की भूमि पर बना हुआ है, आबादी की भूमि का विस्तृत नक्शा उपलब्ध नहीं है और न ही हटा का सर्वे हुआ है। अतः ऐसी स्थिति में आबादी में जिन लोगों के मकान पूर्व में ही	

बने थे। उन लोगों को ही उनकी भूमि का भूमिस्वामी माना जाना न्याय संगत है जबकि प्रश्नगत भूमि खसरा नम्बर 162/1 क रकवा 1.295 है0 भूमि मुकदमा नम्बर 15/अ–65/1964–65 में कलेक्टर द्वारा पारित किये गये आदेश दिनांक 13.1.66 के अनुसार घास से आबादी घोषित की जा चुकी है। इसके अलावा उक्त प्रकरण में म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 248 की प्रकिया के आवश्यक तत्वों नक्शा, फील्ड बुक, पंचनामा आदि का भी विधि के अनुसार पालन नहीं किया गया है जबकि बेजा कब्जा सिद्ध करने की जिम्मेदारी शासन की है।

4– आवेदक के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को में यह भी कहा गया है कि खसरा नम्बर 162/1 क के चारो ओर घनी बस्ती है व मकान आदि बने हुये है जिसमें आज तक उक्त भूमि का वैधानिक सीमांकन ही नहीं हो पाया है एवं धारा 248 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता के प्रावधान आवादी भूमि पर लागू नहीं होते हैं एवं धारा 248 म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता के प्रावधान आवादी भूमि पर लागू नहीं होते हैं जबकि उस पर कोई इमारती संपत्ति खड़ी है।

5– अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर व आवेदक के अधिवक्ता के तर्को से सहमत होते हुये यह निगरानी स्वीकार की जाती है और तहसीलदार हटा का आदेश दिनांक 5.10.15 निरस्त किया जाता है।

सदस्य